संख्या-30/491/30-3-14-24बी/2012

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 27 मार्च, 2014

विषय- संभागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद के पूर्व निर्मित भवन में निर्माणाधीन रिकार्ड रूम की अवशेष धनराशि/द्वितीय किस्त रू0 17.69 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35नजा0/2014-226ए/2011, दिनॉक 20-02-2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय-मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर व सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद के पूर्व निर्मित भवन में अभिलेखों के रख-रखाव हेतु अतिरिक्त रिकार्ड रूम के निर्माण के लिये शासनादेश संख्या-1344/30-3-13-24बी/2012, दिनॉक 21-06-2013 द्वारा रू0 105.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 52.74 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत एवं अवमुक्त 50 प्रतिशत धनराशि में सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद के पूर्व निर्मित भवन में अतिरिक्त रिकार्ड रूम के निर्माण के लिये प्रावधानित धनराशि रू0 35.38 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 17.69 लाख अवमुक्त की गयी है, जिसको उपभोग कर लिये जाने के उपरान्त प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा निर्माण कार्य के संतोषजनक होने की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर, वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनॉक 28-03-2013 में निहित निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि/द्वितीय किस्त रू0 17.69 लाख (रू0 सत्रह लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1344/30-3-13-24बी/2012, दिनॉक 21-06-2013 में निहित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-279/दस-2013, दिनॉक 20 जून, 2013 में प्राप्त उनकी पूर्व सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-30/491(1)/तीस-3-2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम) द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in